

## Regarding issues pertaining to Agricultural University scientists

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। भारतवर्ष में कुल 731 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, जिनमें आईसीएआर, राज्य विश्वविद्यालय एवं एनजीओ शामिल हैं। इसमें कुल मिलाकर लगभग 11 हजार अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं। जो विभिन्न प्रकार के कार्य प्रदर्शन, प्रशिक्षण, समसामयिक कृषि सलाह, मौसम संबंधी सूचना, उन्नत कृषि तकनीक, कौशल विकास प्रशिक्षण, मैदानिक सलाह, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि और कृषकों के बीच बांध का कार्य करते हैं। वे नई-नई तकनीक कृषकों तक सीधे पहुंचाते हैं और उनकी आय दोगुना करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि से संबंधित समस्त कार्य करते हैं, जिससे राज्यों के कृषक कृषि, पशुपालन, मछली पालन के क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रहे हैं। इनमें बहुत से प्रगतिशील किसानों को पुरस्कार और सम्मान में धनराशि से नवाज़ा गया है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से, कृषकों को राज्य एवं केन्द्र के स्तर पर सम्मान प्राप्त हो चुका है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय पर वेतन प्राप्त न होने की स्थिति में वे अपने कार्य शत-प्रतिशत नहीं कर पा रहे हैं, जिसका सीधा असर किसानों तथा कृषि उत्पादन पर पड़ेगा। कृषि विज्ञान केन्द्रों के समस्त अधिकारी व कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। इस प्रकार वेतन प्राप्ति में विलम्ब होने से उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है तथा उनके ऊपर आश्रित परिवारों का जीवन संकट की स्थिति में है। इस परिस्थिति के कारण कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों व कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है।

अतः मेरी मांग है कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए पूर्व की भाँति तत्काल वेतन प्रदान कराने का कष्ट करें। कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत समस्त प्रक्षेत्र प्रबंधकों को वैज्ञानिकों का दर्जा देते हुए, विषय-वस्तु विशेषज्ञ की भाँति समस्त वेतनमान एवं भत्ते भी प्रदान किये जाएं। इनको पिछले छः माह से अधूरे वेतन, पेंशन, चिकित्सा भत्ता आदि नहीं दिये जा रहे हैं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।